उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 550 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम एंव क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण मे में चलाये जा रहे अवैध गांजा की बिक्री एवं तस्करी तथा उसमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 14.09.2023 को थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम उ0नि0 आशिक द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त सुभाष पुत्र स्व0 होरी लाल अहिरवार उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम धरौन जाने वाले मार्ग तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक झोले मे 550 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 244/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशिक अली
2. कां0 बृजेश कुमार गौतम

बरामदगी-

550 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुभाष पुत्र स्व0 होरी लाल अहिरवार उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा

जनपदीय साइबर सेल टीम ने थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत भ्रमण कर आम जनमानस को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया जागरुक,

साइबर अपराध से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा की पहल पर चलाया जा रहा है- "ऑपरेशन ज्ञान कवच"-

बढते हुये साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की पहल पर साइबर अपराध से बचाव हेतु अभियान **"ऑपरेशन ज्ञान कवच"** चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के तहत आज दिनांक 15.09.2023 को श्री रवि कुमार सिंह, प्रभारी साइबर/सर्विलांस सेल के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल पुलिस टीम (मुख्य आरक्षी शरत कुमार व भूपेन्द्र सिंह तथा कां. शैलेन्द्र प्रताप सिंह व कां. सत्यम सिंह) द्वारा थाना कोतवाली महोबा क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम पसवारा में भ्रमण कर **"ऑपरेशन ज्ञान कवच"** अभियान के अन्तर्गत साइबर जगरुकता चौपाल का आयोजन कर आम जनमानस के साथ संवाद करते हुये साइबर अपराध एवं उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर साइबर जागरुकता पम्पलेट्स वितरित की गईं।

श्री रवि कुमार सिंह, प्रभारी साइबर/सर्विलांस सेल ने **"ऑपरेशन ज्ञान कवच"** अभियान के तहत साइबर अपराध से बचाव के तरीके में बताया कि किस तरीके से साइबर ठग एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड/यूपीआई फ्रॉड, ऑनलाइन लॉटरी/ईनाम, शॉपिंग ऐप्स, गूगल सर्च में थोडी सी चूक पर गलत वेबसाइट में क्लिक हो जाने, एनीडेस्क क्विक सपोर्ट जैसे रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर भेजे गये लिंक के माध्यम से साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं में आजकल ट्रैंडिंग में चल रहे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट,शेयरचैट व व्हाट्सएप से संबंधित होने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी इनके बचाव के तरीकों को बताया गया साथ ही इस संबंध में उनसे अपील की गई कि अपने पारिवारिक जनों व पास-पड़ोस के लोगों को भी साइबर अपराध के तरीकों व इनसे बचाव के तरीकों के संबंध में जागरूक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ रहे साइबर अपराध से बचाया जा सके।

यदि किसी के साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत www.cybercrime.gov.in/ साइबर सेल /संबंधित थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि शीघ्र कार्यवाही कर आपकी मदद की जा सके।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.09.2023
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा
उत्तर प्रदेश पुलिस

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 14.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया। जिसमें उ0नि0 राजकुमार यादव द्वारा दिनांक 13.09.2023 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 181/23 धारा 376/506 भादवि व 3(2)5क, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अफसार रईन पुत्र मुन्ना रईन उम्र 28 वर्ष निवासी मु0 अमरगंज पूर्वी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजकुमार यादव
2.का0 राम सिंह थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

अफसार रईन पुत्र मुन्ना रईन उम्र 28 वर्ष निवासी मु0 अमरगंज पूर्वी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या के निस्तारण हेतु दिये गये आवश्यक निर्देश-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन की भांति फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम उ0नि0 श्री सुजीत कुमार जायसवाल के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 367/23 धारा 386/307/325/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वाँछित अभियुक्त अकील पुत्र मैकू खाँ निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा को मोदी ग्राउण्ड के पास श्रीनगर जाने वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

अभियुक्त अकील पुत्र मैकू खाँ निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 367/2023 धारा 386/307/325/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा
2.कां0 महेशचन्द्र
3.कां0 हरिओम

महोबा पुलिस